संसद लोगों की इच्छाओं का प्रतीक है और संसदीय समितियां इसके विस्तार के रूप में कार्य करती हैं : भारत के राष्ट्रपति

...

लोक लेखा समिति का रिकॉर्ड दशकों से सराहनीय और उल्लेखनीय रहा है : भारत के राष्ट्रपति

...

लोक लेखा समिति का नाम बदलकर लोक लेखा और लेखापरीक्षा समिति किया जाए : भारत के उपराष्ट्रपति

...

संसद और राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों का एक साझा मंच होना चाहिए : लोक सभा अध्यक्ष

...

संसदीय समितियों के निष्पक्ष कार्यकरण से हमारी संसदीय व्यवस्था की परिपक्वता का पता चलता है : लोक सभा अध्यक्ष

...

लोक लेखा समिति ने अपनी स्थापना के बाद इन सौ वर्षों के दौरान अनेक क्षेत्रों में नई पहलें करते हुए अपनी जांच के दायरे का विस्तार किया है : श्री अधीर रंजन चौधरी

...

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर 2021 : भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द ने आज संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का उदघाटन किया।

भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु; लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और भारत की संसद की लोक लेखा समिति के सभापति, श्री अधीर रंजन चौधरी इस समारोह में शामिल हुए और विशिष्ट सभा को संबोधित किया।

उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, राज्यों के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी, राज्यों की लोक लेखा समितियों के सभापति, विदेशी प्रतिनिधि और अन्य विशिष्टजन भी शामिल हुए।

दो दिवसीय शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि लोकतंत्र में, संसद लोगों की इच्छाओं का प्रतीक होती है और संसदीय समितियां इसके विस्तार के रूप में काम करते हुए इसे कार्यकुशल बनाती हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि संसदीय लोकतंत्र में शासन की जवाबदेही आवश्यक है, राष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि संसद ही कार्यपालिका को धनराशि जुटाने और खर्च करने

की अनुमति देती है, इसलिए यह आकलन करना भी इसका कर्तव्य है कि निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार धन जुटाया और खर्च किया गया या नहीं। संसदीय समितियां, विशेष रूप से लोक लेखा समिति, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। इनके बिना संसदीय लोकतंत्र अधूरा रहेगा । राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा कि देशवासी लोक लेखा समिति के माध्यम से सरकारी वित्त की निगरानी करते हैं।

महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि लोक लेखा समिति गांधीवादी आदर्शों और अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। दशकों से इसका रिकॉर्ड सराहनीय और उल्लेखनीय रहा है और इसके कामकाज की निष्पक्ष विशेषज्ञों ने भी सराहना की है। उन्होंने आगे कहा कि यह समिति सरकारी व्यय की जांच न केवल कानूनी और औपचारिक दृष्टिकोण से तकनीकी अनियमितताओं, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था, विवेक और औचित्य की दृष्टि से भी करती है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि लोक लेखा समिति का शताब्दी समारोह कार्यपालिका को अधिक जवाबदेह बनाने और इस प्रकार जनकल्याण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति ने कहा कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ मिलकर सरकारी गतिविधियों और इन पर आने वाले व्यय पर स्थायी रूप से निगरानी रखती हैं । विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जहां सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन चिंता का एक प्रमुख मुद्दा रहता है, वहीं लोक लेखा समिति जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए फिजूलखर्ची को रोकने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति अपने प्रतिवेदनों और इन प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के माध्यम से निरंतर निगरानी रखती है जिसके परिणामस्वरूप शासन प्रणाली और नीति में निरंतर सुधार हो रहा है। उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि इस प्रकार संसद द्वारा निगरानी किए जाने के कार्य को देखते हुए लोगों की नज़रों में इसका सम्मान बढ़ा है । लोक लेखा समिति की भावी भूमिका के बारे में बात करते हुए उप राष्ट्रपति जी ने सुझाव दिया कि लोक लेखा समिति पिछले 100 वर्ष के अपने अनुभवों के आधार पर नए परिवर्तन लाए । उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि समिति का नाम बदलकर लोक लेखा और लेखापरीक्षा समिति किया जा सकता है ।

राष्ट्र निर्माण में लोकतान्त्रिक संस्थाओं की भूमिका के महत्व के बारे में बात करते हुए लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने कहा कि आज लोकतान्त्रिक संस्थाओं को जनता की समस्याओं को हल करने तथा उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाली एक प्रभावी संस्था के रूप में देखा जा रहा है।श्री बिरला ने यह भी कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि कठिन समस्याओं के बावजूद इन सात दशकों में हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी लोकतंत्र के रूप में आगे आए हैं। लोकतान्त्रिक संस्थाओं का मुख्य दायित्व शासन को जनता के प्रति जवाबदेह, जिम्मेदार तथा पारदर्शी बनाना है। संसदीय समितियों ने अपने कार्यों से इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री बिरला ने कहा कि लोक लेखा समिति ने अपने कार्यकरण के 100 वर्षों में विधायिका तथा संसद की सर्वोच्चता को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

लोक लेखा समिति के बारे में बात करते हुए श्री बिरला ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में इस समिति के रचनात्मक सुझावों ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ावा ही नहीं दिया है बल्कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने में सहायता भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि संसदीय समितियों की निष्पक्षता और समिति की सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा सामान्यतः स्वीकार करने की परंपरा हमारी संसदीय व्यवस्था की परिपक्वता को दर्शाते हैं। केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर लोक लेखा समितियों के बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए श्री बिरला ने सुझाव दिया कि चूंकि संसद की लोक लेखा समिति व राज्यों की लोक लेखा समितियों के बीच साझे हित के अनेक मुद्दे हैं, इसलिए संसद और राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों का एक साझा मंच होना चाहिए । इससे बेहतर समन्वय, अधिक पारदर्शिता और कायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होगी । श्री बिरला ने यह भी कहा कि प्रत्येक लोकतान्त्रिक संस्था का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना और उनकी अपेक्षाओं और आशाओं को पूर्ण करना है।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, लोक लेखा समिति के सभापति, श्री अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि समिति के सदस्य देश के प्रति निष्ठा और सेवा की भावना से दलगत संबद्धताओं से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। इस प्रकार यह समिति संयुक्त टीम के रूप में काम करती है और सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्वस्थ परंपरा का पालन करती है जिससे समिति की निष्पक्षता का पता चलता है। श्री चौधरी ने यह भी कहा कि इस समिति ने अपनी स्थापना के सौ वर्ष के दौरान अनेक क्षेत्रों में नई पहलें करते हुए अपनी जांच के दायरे का विस्तार किया है। दशकों से लोक लेखा समिति लेखाओं की जांच के माध्यम से सरकारी कार्यों से जुड़े लेनदेन के मामलों में जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती आई है। और इस प्रकार यह समिति शासन के कामकाज में वित्तीय उपयुक्तता और दक्षता के स्तर को बनाए रखने में योगदान करती आई है।

इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने भारत की संसद की लोक लेखा समिति की शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया। भारत के राष्ट्रपति ने लोक लेखा समिति की सौ वर्ष की यात्रा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का उदघाटन भी किया।

उद्घाटन सत्र के बाद, लोक लेखा समिति दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान समिति की कार्यप्रणाली से संबंधित चार एजेंडा विषयों पर विचार-विमर्श करेगी। इस सत्रों में निम्नलिखित एजेंडा मदों पर चर्चा की जाएगी :

(i) वर्तमान समय में लोक लेखा समिति का कार्यकरण, चुनौतियां और भावी कार्य योजना : लोक लेखा समिति की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना; गैर-सरकारी स्रोतों से जानकारी एकत्र करना; और कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं के परिणामों का आकलन करना

(ii) लोक लेखा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन: समय-सीमा का पालन और सिफ़ारिशों के कड़ाई से अनुपालन के लिए तंत्र;

(iii) लोक लेखा समिति विकास के भागीदार के रूप में: कार्यप्रणाली को मजबूत करने और सुशासन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना;

(iv) लोक लेखा समिति का प्रभाव: नागरिकों के उचित प्रक्रिया के अधिकार और करदाताओं के धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना।